

27th February 2026
GIL/2025-26/214

To,

The BSE Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001 Fax No.: 022- 22721919 Scrip Code- 533282	The Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra - Kurla Complex, Bandra(east), Mumbai- 400 051 Fax No.: 022-2659 8120 Company Code: GRAVITA
---	---

Sub: Newspaper Advertisement regarding opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Dear Sir/Madam,

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated 30th January, 2026, please find enclosed copies of the newspaper advertisement informing shareholders regarding the opening of Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities, in the following newspapers:

1. Financial Express;
2. Nafa Nuksan.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Gravita India Limited

Nitin Gupta
(Company Secretary)
FCS: 9984

Regd. Office:

'SAURABH', Chittora Road, Diggi-Malpura Road
Tehsil: Phagi, JAIPUR- 303 904, Raj. (INDIA)
Phone: +91-141-2623266, 2622697 FAX : +91-141-2621491
Email: companysecretary@gravitaindia.com

FORM INC-26 (Pursuant to Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, DELHI

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office: M-167-199, 2nd Floor, Ansa Salai, Saldapat, Chennai-600015

PNB Housing Regd. Off: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K. G. Marg, New Delhi-110001. Ph: 011-23357171, 23357172, 23705414. Web: www.pnbhousing.com

SMFG India Home Finance Co. Ltd. Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400015

Form no INC-26 (Pursuant to rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

FORM NO. INC-26 BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI

PIRAMAL FINANCE LTD. (Formerly Known as Piramal Capital and Housing Finance Corporation Ltd.)

SMFG India Home Finance Co. Ltd. Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400015

Form no INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement for change of Registered Office of the Company from Union Territory of Delhi to State of Haryana

Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION DIRECTOR-II, CHANDIGARH

POSSESSION NOTICE For Immovable Property as per Rule 8(1) and Appendix-IV

SMFG India Home Finance Co. Ltd. Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400015

Form no INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement for change of Registered Office of the Company from Union Territory of Delhi to State of Haryana

Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION DIRECTOR-II, CHANDIGARH

POSSESSION NOTICE For Immovable Property as per Rule 8(1) and Appendix-IV

SMFG India Home Finance Co. Ltd. Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400015

Form no INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement for change of Registered Office of the Company from Union Territory of Delhi to State of Haryana

Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION DIRECTOR-II, CHANDIGARH

POSSESSION NOTICE For Immovable Property as per Rule 8(1) and Appendix-IV

SMFG India Home Finance Co. Ltd. Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400015

Form no INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement for change of Registered Office of the Company from Union Territory of Delhi to State of Haryana

Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION DIRECTOR-II, CHANDIGARH

POSSESSION NOTICE For Immovable Property as per Rule 8(1) and Appendix-IV

SMFG India Home Finance Co. Ltd. Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400015

For Your Information

India's
Installed
Power
Capacity
Mix (%)



Thermal - 50.5%
Solar - 23.3%
Wind - 10.8%
Hydro - 10.1%
Small Hydro - 1.1%
Bio-power - 2.4%
Nuclear - 1.8%

(MoP, PTT)

Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वचन



मौला बोले, शिरो में
मिथी घोले। जरूरी नहीं कि
मिठई खिलाकर ही
दूरतों को सुख किया जाए, मौला
बोल्कर भी दूरतों को सुखिया
बांटी जा सकती है।
- श्री कृष्ण

Thoughts of the time

If all the year were playing holidays, to sport would be as tedious as to work, but when they seldom come, we wished for them.

-William Shakespeare

Winner work hard to win, loser find an excuse to lose! stop giving excuses!

-Sachin Rathi

राजस्थानी कहावत

घर रा ऊंढरा ई राजी व्हे
तौ काम करज्यौ
घर के व्हे भी सुख हो तो
काम करना

जिस बात से घर का चूहा तक नाखुश हो
वह काम नहीं करना चाहिए।

-श्री. विजय चान देवा
साभार : श्यामल संस्थान, बीकानेर

कंपनियों के लिए 15 अप्रैल से अनुपालन
सुविधा योजना लेकर आएंगी सरकार

नयी दिल्ली@एजेंसी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तीन माह की एक अनुपालन सुविधा योजना शुरू करेगा जिसके तहत कंपनियों को कम शुल्क पर अपनी लिंबित फाइलिंग जमा कर सकेंगी और देरी को माफ भी किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक लागू रहेगी। फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय देने और अतिरिक्त शुल्क में राहत देने के संबंध में मिले अनुरोधों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जारी परिपत्र में मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत कंपनियों को एकमुश्त अनुपालन सुविधा दी जाएगी, जिसके जरिये वे विलंबित वार्षिक फाइलिंग को नियमित कर सकेंगी।

बुकिंग के 48 घंटे के भीतर फ्लाईट टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा शुल्क

नयी दिल्ली@एजेंसी। विमान यात्री अब बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, यह कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। नागर विमानन नियामक डीजीसीए ने इसको लेकर टिकट किराया वापसी नियमों में संशोधन किया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों में संशोधन करते हुए यह भी कहा कि यदि यात्री, बुकिंग के 24 घंटों के भीतर नाम में किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है, तो एयरलाइन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। डीजीसीए ने कहा कि ट्रेवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में, जैसे



वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनियों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए। इसके अलावा, चिकित्सा आपात स्थिति के कारण यात्रियों के टिकट रद्द करने के नियमों में भी बदलाव किये गये हैं। समय पर रिफंड न मिलने की यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हवाई टिकट वापसी के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) में संशोधन किये गये हैं। दिसंबर, 2025 में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के दौरान भी टिकट वापसी

का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। उस समय नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर रिफंड करने का निर्देश दिया था। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किए गए थे। अब एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे की अवधि के लिए 'लुक इन' यानी उसे अद्यतन करने का विकल्प प्रदान करें। नियामक ने कहा कि इस अवधि के दौरान यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं। लेकिन जिस संशोधित उड़ान के लिए टिकट लेना चाहते हैं, उसके लिए जो भी किराया बनता है यानी किराये में जो अंतर है, वह देना होगा। नियामक ने कहा कि जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जाता है, वह सुविधा उन उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिनकी प्रस्थान

लिथि घरेलू उड़ानों के मामलों में बुकिंग की तारीख से सात दिन से कम और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन से कम है। बुकिंग समय के 48 घंटे बाद, यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा और यात्री को संशोधन के लिए टिकट रद्द करने को लेकर संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि यदि यात्री द्वारा टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में किसी तरह की गलती बताई जाती है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया जाता है, तो उसी व्यक्ति के नाम में सुधार के लिए एयरलाइन को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। नियामक के अनुसार, चिकित्सा आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनी पैसा वापस कर सकती है या 'क्रेडिट' विकल्प प्रदान कर सकती है।

Private industrial Park के विकास के लिए सरकार देगी सब्सिडी

जयपुर। राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई अहम आर्थिक और औद्योगिक फैसलों को मंजूरी दी, जिसमें राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन और औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति को मंजूरी शामिल है।

यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि इससे जमीन जायदाद में धोखाधड़ी, बैंक-बोमा एवं शेयर बाजार से जुड़े वित्तीय अपराध, 'मल्टी लेवल मार्केटिंग' ठगी, झूठा दिवाल्यापन, फर्जी नियोजन एजेंसी तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी या प्रवेश से संबंधित मामलों पर शोध कार्रवाई हो सकेगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया औद्योगिक विकास को नई गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी।

राजस्थान सरकार बनाएगी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन



इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मॉडल-ए (पूरी तरह रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास), मॉडल-बी (80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर), मॉडल-सी (संपूर्ण भूमि को विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था) तथा मॉडल-डी (पीपीपी मॉडल) निर्धारित किए हैं।

उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के लिए सामान्य अवसरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान भी देगी। इसकी अधिकतम सीमा 100 एकड़ तक के पार्क के लिए 20 करोड़ रुपये, 100 से 250 एकड़ के लिए 30 करोड़ रुपये तथा 250

एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 40 करोड़ रुपये होगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की 23 अगस्त 2025 को आयोजित बैठक में टॉक रोड, बी2 बाईपास, जयपुर स्थित रीको की भूमि पर तीन हजार 55 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान मंडपम, वैश्विक क्षमता केंद्र एवं अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। इस प्रस्ताव के तहत 635 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित वित्तीय मॉडल का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत परियोजना को अनुमानित लागत लगभग 5,815 करोड़ रुपये तथा अनुमानित राजस्व प्राप्ति 5,825 करोड़ रुपये है। इस संशोधित मॉडल में लगभग 10 करोड़ रुपये की शुद्ध आय भी संभावित है।

निजी बस संचालकों की हड़ताल से परेशानी

जयपुर। राजस्थान में निजी बस संचालकों की हड़ताल बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी जारी रही जिससे राज्यभर में परिवहन सेवाएं बुरी तरह से बाधित हुईं। इससे व्यापारिक कार्यों एवं सर्विस के लिए योजना अप-डाउन करने वाले लोगों तथा होली के त्योहार पर अपने घरों को लौटने वाले परिवारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी बसों की हड़ताल का असर खादू-श्यामजी मेले में जाने वाले भक्तों पर भी पड़ा है। निजी टैक्सी संचालक खादू जाने वाले भक्तों से

बहुत ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग त्योहारी सीजन में गांव नहीं लौट पा रहे हैं।

बस संचालक त्योहारी सीजन के लिए कर रही 'अग्रिम बुकिंग' रद्द कर रहे हैं। निजी बस संचालकों का कहना है कि हड़ताल के कारण राज्य में लगभग 35,000 बसें सड़क पर नहीं उतरी। हालांकि इसमें लोक परिवहन योजना के तहत आने वाली बसें शामिल नहीं हैं। संचालकों का दावा है कि रोजाना लगभग 15 लाख यात्री राजस्थान आने-जाने वाली

बसों में सफर करते हैं जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और असम के यात्री शामिल हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन के लिए की गई 'अग्रिम बुकिंग' रद्द हो रही है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा कि सरकार द्वारा मांगे माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि इस हड़ताल से न केवल बस संचालकों को बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

नेशनल • इंटरनेशनल

इंडिया-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कार्बन टैक्स बरकरार

नयी दिल्ली@एजेंसी।



जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां बताया कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बावजूद यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम)' में कोई छूट नहीं होगी, लेकिन दोनों पक्षों ने आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीकों को खोजने के लिए तकनीकी वार्ताओं के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री जॉर्जेन फ्लासबार्थ ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीएएम किसी विशिष्ट देश को लक्षित नहीं करता है, बल्कि यूरोपीय संघ में कार्बन मूल्य निर्धारण लागू होने के बाद एक आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में काम करता है। फ्लैसबार्थ ने भारत की अपनी यात्रा के दौरान बुधवार को 'सीबीएएम किसी भी खिलाफ नहीं है। कार्बन मूल्य निर्धारण लागू करने के बाद आपको किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा की

आवश्यकता होती है।' इस दौरान उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्री ने जोर देकर कहा, 'कार्बन मूल्य निर्धारण के संबंध में हमें कुछ करना होगा और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। मुक्त व्यापार समझौते में यह लिखा है कि इसे सर्वोत्तम तरीके से लागू करने के लिए तकनीकी वार्ताएं होंगी। निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी अन्य देश के लिए कोई छूट नहीं होगी। उदाहरण के लिए हम अमेरिका या अन्य देशों के दबाव में नहीं आएं, इसलिए भारत निश्चित रह सकता है कि कोई छूट नहीं होगी।' यूरोपीय संघ का

सीबीएएम जनवरी 2026 में अपने अंतिम वित्तीय चरण में प्रवेश कर चुका है। इस समझौते में लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आयात में निहित कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क लगाने का प्रावधान है। इससे भारत में चिंता बढ़ गई है, विशेषकर इस्पात जैसे कार्बन-गहन निर्यात के लिए, जिन्हें अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है, जो मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले कुछ शुल्क लाभों को संतुलित कर सकती है। फ्लैसबार्थ ने बड़े वैश्विक व्यापार अवरोधों और कठिन भू-राजनीतिक स्थिति के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। फ्लैसबार्थ ने कहा,

"जिस मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है... उसे जल्द ही अनुमोदित करना होगा। हमने कार्बन मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों के क्षेत्र में अधिक सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की है।" फ्लैसबार्थ ने यह भी कहा कि भारत और जर्मनी आगामी अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों पर एक समझौते की पुष्टि करेंगे। सुत्रों के अनुसार, दोनों देशों के बीच आईजीसी की बैठक जून 2026 में आयोजित होने की संभावना है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-द्वितीय, जयपुर

क्रमांक:- 4829 दिनांक:- 19.02.26

ई-निविदा सूचना संख्या 58/2025-26 प्रकाशन बाबत

Bids for Building Construction/ Maintenance works are invited from interested bidders upto 04.03.2026 (06:00 PM). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://sppp.raj.nic.in>.

अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. नगर खण्ड-2, जयपुर

क्रमांक : निर्माण/उपान/ई-बो./2025-26/789 दिनांक : 23.02.2025

अत्यकालीन ई-बोली सूचना संख्या-43/2025-26

Bid for Ballot Paper and Other Printing Work to be Used For Election in Jaipur District (Estimated value 25 lakh) are invited from interested bidders upto 04.03.2026 till 11:30 AM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the State; and www.jaipur.rajasthan.gov.in departmental Website.

NIB : CJP2526A0031 जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर

UBN : CJP2526GLRC0031 DTR/CR/4400/2026

ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 'सौरभ', वितोड़ रोड, हस्तलिया गौड, डिजी-गालपुर रोड, हा. टाणी, जयपुर-303 904, राज. (भारत)

फोन : +91-141-2623266, 2622697 फैक्स : +91-141 2621491

वेब : www.gravitaindia.com CIN : L29308RJ1992PLC006870

ई-मेल : companysecretary@gravitaindia.com

शेयरधारकों को सूचना

विशेष विंडो- फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर के लिए री-लॉजमेंट

सेबी परिपत्र एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/आई/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसार, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डोमेस्टिक एडिशन फंड प्रोटेक्शन (डीएमए) की सुविधा के लिए अब 04 फरवरी 2027 तक एक विशेष विंडो खुली है। उक्त विशेष विंडो ऐसे हस्तांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकार कर दिए गए/वापस कर दिए गए/ या जिनपर ध्यान नहीं दिया गया था।

लॉजमेंट के लागू होने के बारे में कृपया नीचे दिया गया मैट्रिक्स देखें :

हस्तांतरण डीड की क्रियावन्त तारीख	अप्रैल 01, 2019 से पहले हस्तांतरण के लिए दर्ज की गई ?	मूल प्रतिभूति प्रमाण पत्र की उपलब्धता ?	वर्तमान विंडो में दर्ज होने योग्य ?
अप्रैल 01, 2019 से पहले	हाँ (यह नया दर्ज है)	हाँ	हाँ
अप्रैल 01, 2019 से पहले	हाँ (इसे पहले अस्वीकार/वापस कर दिया गया था)	हाँ	हाँ
अप्रैल 01, 2019 से पहले	हाँ	नहीं	नहीं
अप्रैल 01, 2019 से पहले	नहीं	नहीं	नहीं

इसके अलावा, इस विशेष विंडो के तहत निम्न मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा

- हस्तांतरण करने वाले और ट्रांसफर की बीच झगड़े वाले मामले।
- प्रतिभूतियां जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन (डीएमए) में ट्रांसफर की गई हैं।
- कृपया ध्यान दें कि जिन आवेदनों के साथ मूल प्रतिभूति सर्टिफिकेट, ट्रांसफर डीड और दूसरे सहकारी दस्तावेज होंगे, उन पर भी विशेष विंडो के तहत विचार किया जाएगा।
- इसके अलावा, इस प्रक्रिया के तहत हस्तांतरित की गई प्रतिभूतियों को आवश्यक रूप से केवल ट्रांसफर की सिर्फ डोमेस्टिक रूप में क्रेडिट किया जाएगा और वे हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक साल के लिए लॉक-इन रहेंगी। ऐसी प्रतिभूतियों को बचाए गए लॉक-इन पॉरियड के दौरान हस्तांतरण/प्रमाणिकार/गिरवी नहीं रखा जा सकेगा।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों को 04 फरवरी, 2027 तक कंपनी के आरटीए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी प्लॉट नंबर 31 और 32, गांधीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना में enward.nis@kfintech.com पर फिर से दर्ज कराएं।

निदेशक मंडल के आदेश से
ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता-
नित्य न्याय
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
FCS : 9984

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26 फरवरी, 2026